राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2021 विविध प्रार्थना पत्र

1. सीताराम पिता कन्हैया लाल उर्फ काना अहीर निवासी ढलिवाल की झुपड़िया, नंदराय तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. भगवाना पिता कन्हैया लाल उर्फ काना अहीर निवासी ढलिवालकी झुपड़िया, नंदराय तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. सुरेश पिता कन्हैया लाल उर्फ काना अहीर निवासी ढलिवाल की झुपड़िया, नंदराय तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. श्याम लाल पिता कन्हैया लाल उर्फ काना अहीर निवासी ढलिवाल की झुपड़िया, नंदराय तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
5. मुकेश पिता कन्हैया लाल उर्फ काना अहीर निवासी ढलिवाल की झुपड़िया, नंदराय तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
6. लाली पुत्री कन्हैया लाल उर्फ काना अहीर वर्ष निवासी ढलिवाल कीझुपड़िया, नंदराय तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
7. विमला पुत्री कन्हैया लाल उर्फ काना अहीर निवासी ढलिवाल की झुपड़िया, नंदराय तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटडी – (भीलवाड़ा)

—रेस्पोडेण्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 151 जाब्ता दीवानी प्रकरण संख्या 167/2002 आ.नि. निर्णय दिनांक 09.07.2002

उपस्थित –

1. श्री दिनेश शिशोदिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश चन्द्र तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.11.2021

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 151 जाबद दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नंदराय की आराजी संख्या 766/64 रकबा 03 बीघा भूमि विधिवत प्रार्थी संख्या 1 से 7 के पिता कन्हैयालाल उर्फ काना जी को दिनांक 29.04.1976 को आवंटन किया गया तथा आवंटन आदेश के तहत प्रार्थीगण को नजराने की राशि 7200/ रूपये जमा करानी थी क्योंकि उक्त आराजियात कमाण्ड क्षेत्र की होने से उक्त आवंटन राजस्थान मध्यम एवं लघु परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1968 के तहत किया गया उक्त आदेश की पालना में प्रार्थीगण द्वारा नियत अवधि में

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

7200/–रूपये नजराने की राशि के जमा न कराये जाने पर उक्त आंवटन को निरस्त करने बाबत तहसीलदार कोटड़ी द्वारा न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के यहां नियम 17 ए राजस्थान मध्यम एवं लघु परियोजना क्षेत्र आवंटन नियम 1968 के तहत कार्यवाही की गयी जिसके प्रकरण संख्या 38/2002 आवंटन नियम कायम हो दिनांक 02.04.2002 को एकपक्षीय आदेश न्यायालय द्वारा पारित करते हुये प्रार्थीगण के पिता कन्हैया लाल को किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया जिसकी ज्योंहि जानकारी प्रार्थीगण के पिता कन्हैया लाल पुत्र छीतर जी अहीर को हुयी तो उन्होने पुनः एक प्रार्थनापत्र उन्हें सुनकर अजसरेनो निर्णय पारित करने हेतु न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिसके प्रकरण संख्या 167/2002 आवंटन नियम कायम हो उक्त प्रार्थनापत्र पर दिनांक 09.07.2002 को न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि "यदि अप्रार्थी एक माह की अवधि के भीतर भीतर बकाया नजराना राशि व नियमानुसार ब्याज जमा करा देता है तो उसके पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है"। न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.04.2002 की पालना में विपक्षी ने नामान्तरणकरण संख्या 3207 दिनांक 20.04.2002 के तहत विवादित आवंटनशुदा आराजियात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जो सर्वथा गलत है क्योंकि जब न्यायालय आप द्वारा ही दिनांक 09.07.2002 को पूर्व में आप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2002 को अपास्त करते हुये 01 माह का समय नजराना राशि जमा कराने हेतु प्रार्थीगण के पिता कन्हैया लाल को प्रदान किया उससे पूर्व ही अर्थात दिनांक 20.04.2002 को ही उक्त आराजियात बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये जाने का नामान्तरणकरण फैसल करना सर्वथा गलत होकर विधि के विपरीत था व है क्योंकि आज भी कब्जा उक्त आवंटनशुदा आराजियात पर प्रार्थीगण का ही कन्हैया लाल जी एवं उनकी पत्नी मोड़ी की मृत्यू उपरांत निरंतर हो चला आ रहा है तथा इससे पूर्व कन्हैया लाल जी एवं उनकी पत्नी का हो चला आ रहा था। प्रार्थीगण के पिता कन्हैया लाल जी एक भूमिहीन गरीब, सीमान्त कृषक मजदूर थे जिनके उपर अपने एवं अपने परिवार के 08–10 सदस्यों के भरण–पोषण का भार था तथा सन 2002 में अचानक भंयकर अकाल पड़ गया इसके कारण प्रार्थीगण के पिता की आजीविका भी बुरी तरह से प्रभावित हो गयी तथा उनके एवं उनके परिवार का उस वक्त सामान्य भोजन प्राप्त होना भी मुश्किल हो गया फिर भी कन्हैया लाल जी ने येन केन प्रकारेण अपने परिवार का भरण पोषण किया किन्तु न्यायालय आप द्वारा पारित आदेश की पालना में नजराना राशि उपरोक्त सदभाविक कारणों से जमा नहीं करा सके। कालान्तर में कन्हैया लाल जी को लखवा एवं अस्थमा की भंयकर बीमारी हो गयी तथा उस बीमारी में काफी पैसा ईलाज हेतु व्यय करना

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पड़ा और उक्त बीमारी के कारण अंततः कन्हैया लाल जी का निधन हो गया और उनके निधन के कुछ समय उपरांत ही उनकी पत्नी का भी वर्ष 2015 में आकस्मिक निधन हो गया। इस कारण कन्हैया लाल जी अपने जीवनकाल में न्यायालय आदेश की पालना में आवंटनशुदा आराजियात का नजराना जमा नहीं करा सके उक्त वर्णित सदभाविक कारण युक्ति युक्त होकर प्राकृतिक हैं अर्थात कोई किसी प्रकार की जानबूझकर लापरवाही प्रार्थीगण के पिता द्वारा नजराना राशि जमा कराने में नहीं रही है। प्रार्थीगण जो कि अपने पिता के जीवनकाल में नाबालिग थे को कोई किसी प्रकार की जानकारी न्यायालय आप द्वारा पारित आदेशों की नहीं रही है। उक्त आदेशों की सर्वप्रथम जानकारी पटवार हल्का द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध आवंटनशुदा आराजियात पर प्रार्थीगण के चले आ रहे निरंतर कब्जे के संबंध में नाजायज कब्जे की कार्यवाही करने की दिनांक 01.11.2020 को कहने पर हुयी इस पर प्रार्थीगण ने सारी जानकारी कर पूर्व में न्यायालय आप द्वारा पारित आदेशों की नकले लेने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल प्राप्त होते ही सम्पूर्ण तथ्यों की प्रार्थीगण को जानकारी हुयी और जानकारी होते ही प्रार्थीगण ने माफिक न्यायालय निर्णय के नजराना राशि जमा कराने हेतु तहसील कार्यालय गये तो उन्होने नजराना राशि जमा करने से इंकार कर दिया प्रार्थीगण जो कि एक सदभाविक भूमिहीन गरीब सीमान्त कृषक है जिनकी आजिवीका उक्त आवंटनशुदा आराजियात पर ही निर्भर है अर्थात आवंटनशुदा आराजियात पर मेहनत मजदूरी कर प्रार्थीगण जो उपज प्राप्त करते हैं उसी पर प्रार्थीगण एवं उनके परिवार की आजीविका टिकी हुयी है ऐसी हालत में प्रार्थीगण को उक्त आवंटनशुदा आराजियात का आवंटन बहाल किया जाना हर दृष्टि से अर्थात सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थीगण को यदि उक्त आवंटनशुदा आराजियात से बेदखल कर दिया गया तो उनके एवं उनके परिवार पर एक प्रकार से भंयकर वज्रपात गिरेगा जिससे उनके भूखे मरने की नौबत आ जायेगी जो एक लोक कल्याणकारी सरकार की कतई मंशा नहीं है ऐसी हालत में उक्त गुजरे हुये समय को मानवता एवं दयालुता का लचीला रूख अपनाते हुये क्षम्य किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है प्रार्थीगण न्यायालय आप द्वारा नजराना राशि जमा कराने की दी गयी सीमा समाप्त होने के पूर्व ही नजराना राशि मय ब्याज के विधि के तहत जमा करा देंगे। यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि प्रार्थीगण आज भी आवंटनशुदा आराजियात पर बहैसियत खातेदार कृषक निरंतर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज हो उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं इतना ही नहीं प्रार्थीगण एवं उनकी माता का तत्कालीन समय में आवंटनशुदा आराजियात पर निरंतर कब्जा होने के कारण प्रार्थीगण की माता मोड़ी बाई के विरूद्ध विपक्षी द्वारा धारा 91 भू राजस्व

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थित की गयी इस प्रकार विवादित आवंटनशुदा आराजियात पर कब्जा व दखल प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है पूर्णतया सिद्ध होता है प्रार्थीगण को न्यायालय आप द्वारा पारित आदेश की कोई किसी प्रकार से जानकारी तत्कालीन समय में नहीं थी बल्कि तत्कालीन समय में वे नाबालिग थे तथा सारी कार्यवाही उनके पिता द्वारा ही की जाती रही पिताश्री की मृत्यू उपरांत भी कोई किसी प्रकार की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 01.11.2020 से पूर्व नहीं हो सकी इसी कारण प्रार्थीगण भी यथा समय नजराना राशि जमा नहीं करा सके और ज्योंहि जानकारी हुयी त्योंहि राशि जमा कराने को तैयार एवं तत्पर रहे है इस कारण न्यायालय आप द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2002 में प्रार्थीगण के पिता को नजराना राशि जमा कराने की समय सीमा में इजाफा करते हुये एक माह का समय और दिया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक हो गया है इस हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी संख्या 766/64 रकबा 03 बीघा वाके नंदराय तहसील कोटड़ी कोन्यायालय आप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2002 की पालना में पुनः प्रार्थीगण को पुनः नजराना राशि जमा कराने हेतु एक माह का समय प्रदानकरते हुये आवंटनशुदा आराजियात प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 14.01.2021 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय आप द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2002 में प्रार्थीगण के पिता को नजराना राशि जमा कराने की समय सीमा में इजाफा करते हुये एक माह का समय और दिया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी संख्या 766/64 रकबा 03 बीघा वाके नंदराय तहसील कोटड़ी को न्यायालय आप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2002 की पालना में पुनः प्रार्थीगण को पुनः नजराना राशि जमा कराने हेतु एक माह का समय प्रदान करते हुये आवंटनशुदा आराजियात प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2014 (2) आर एल डब्ल्यू पेज 1831 मोहनलाल सैनी बनाम पवन कुमार शर्मा पेश किये।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण को आवंटनशुदा आराजी की नजराना राशि जमा कराने हेतु न्यायालय द्वारा दो(02) बार अवसर दिये गये। बावजूद इसके प्रार्थीगण ने नजराना राशि जमा नही करायी। प्रार्थीगण ने न्यायालय आदेश की पालना नही कर उक्त नजराना राशि जमा कराने हेतु लगभग 19 वर्ष पश्चात् एवं कन्हैयालाल व उनकी पत्नी का देहान्त वर्ष 2015 मे होने पर, उसके बाद भी लगभग छः वर्ष पश्चात् बिना किसी ठोस प्रमाण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन व सारहीन होने से खारिज होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। जिसके उपरान्त यह पाया कि प्रार्थीगण को आवंटनशुदा आराजी की नजराना राशि जमा कराने हेतु न्यायालय द्वारा दो(02) बार अवसर दिये गये। बावजूद इसके प्रार्थीगण ने नजराना राशि जमा नही करायी। प्रार्थीगण ने न्यायालय आदेश की पालना नही कर उक्त नजराना राशि जमा कराने हेतु लगभग 19 वर्ष पश्चात् एवं कन्हैयालाल व उनकी पत्नी का देहान्त वर्ष 2015 मे होने पर, उसके बाद भी लगभग छः वर्ष पश्चात् बिना किसी ठोस प्रमाण के उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होता हैं। प्रार्थीगण को नजराना राशि जमा कराये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने से, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 148, 151 जाब्ता दीवानी आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नही ठहरता हैं। अतएव –

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 148, 151 सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडी को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा